न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 32/2025 | 30.06.2025 | 12-1-2026 |

1. हरिमोहन पुत्र कल्याण, मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा तह0 तलावडा
2. बीना देवी पत्नी रमेश चंद, मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा तह0 तलावडा
3. रवि कुमार पुत्र रमेश चंद, मीना निवासी नारायणपुर टटवाडा तह0 तलावडा
4. कुलदीप कुमार पुत्र रमेश चंद, मीना नि. नारायणपुर टटवाडा तह0 तलावडा

—प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 217, 216 ग्राम नारायणपुर टटवाडा एवं खाता संख्या 216 ग्राम हीरापुर तहसील तलावडा मे स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम हरिमोहन पुत्र कल्याण है जो प्रार्थी संख्या 1 के समस्त शैक्षिणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरा मे दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 का बोलता नाम पप्पू है। दोनो नाम प्रार्थी के नाम ही है परन्तु सही नाम हरिमोहन है। प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पति व पिता का नाम रमेश चंद पुत्र कल्याण है जो प्रार्थीगण के पति व पिता के समस्त शैक्षिणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड वगैरा मे दर्ज है। प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पति व पिता का बोलता नाम महेश चंद है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम हरिमोहन है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे पप्पू अंकित कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पति व पिता का नाम रमेश चंद है किन्तु उपरोक्त वर्णित सहखातेदारी मे बोलता नाम महेश चंद अंकित कर दिया है जो दुरूस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खाता संख्या नया 217, 216 ग्राम नारायणपुर टटवाडा एवं खाता संख्या 216 ग्राम हीरापुर तहसील तलावडा मे प्रार्थी संख्या 1 का नाम पप्पू के स्थान पर हरिमोहन एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पति व पिता का नाम महेश चंद के स्थान पर रमेशचंद संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी संवत 2073—76 खाता संख्या नया 217, 216 ग्राम नारायणपुर टटवाडा एवं खाता संख्या 216 ग्राम हीरापुर तहसील तलावडा, फोटोकोपी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वगैरा प्रार्थीगण प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट चाही गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक राजस्व/25/1776 दिनांक 27.10.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का हीरापुर व नारायणपुर टटवाडा की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्धान अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करने हुए प्रार्थीगण का नाम शुद्ध करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नारायणपुर मे नामान्तकरण संख्या 87 विक्रय पत्र के नामान्तकरण से सामलिया पुत्र हरनारायण मीना निवासी नारायण से सुरेश चंद, महेशचंद, दामोदरलाल, पप्पू पुत्र कल्याण मीना हि0 ब0 1/2 के नाम दर्ज हुई है। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 8.7.92 प्र.स. 82 पृष्ठ संख्या 347–348 जिल्द संख्या 364 पर पंजीबद्ध है। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 88 विक्रय पत्र के नामा0 से सामलिया पुत्र हरनारायण जाति मीना निवासी नारायणपुर से सुरेश चंद, महेश चंद, दामोदर लाल, पप्पू पुत्र कल्याण मीना हि0 ब0 हि0 1/2के नाम है। जिसका विक्रय पत्र 8.7.92 पु.सं. 82 पृष्ठ संख्या 296 क्र.स. 339 पृष्ठ संख्या 140–144 पर पंजीबद्ध है। उक्त दोनो पंजीबद्ध दस्तावेजों मे भी प्रार्थियों का नाम सुरेशचंद, महेशचंद, दामोदरलाल, पप्पू पुत्र कल्याण अंकित है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार नामा0 संख्या 87, 88 भरे गये है। जो नाम विक्रय पत्र मे अंकित है वही नाम नामान्तकरण मे भरे गये है और तब से आज दिनांक तक प्रार्थियों के नाम पप्पू पुत्र कल्याण व महेशचंद पुत्र कल्याण रिकॉर्ड मे चला आ रहा है। तहसीलदार तलावडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर हुई नाम अशुद्धि के तथ्य को छिपाया गया है। प्रार्थीगण स्वच्छ हदय से न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। अतः तहसीलदार तलावडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट अस्वीकार किया जाता है खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13-1-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:48 IST
Reason: SelfAttested

( बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर [illegible]